

No. RTI/551/1345/2015




विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली  
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  
NEW DELHI  
Dated: 23/06/2015

To,  
Shri Ghulam Rasool,  
40-Ghalib Nagar,  
Feerozabad-283203

Sir,

Please refer to your letter dated 11/06/2015 regarding non-receipt of reply to your RTI application dated 06/04/2015.

2. You have stated in your letter that your RTI was transferred to this Ministry by Haj Committee of India (HCOI) and also enclosed first page of their letter dated 07/05/2015 transferring your RTI to MEA.
3. Kindly note that it is not known that to whom HCOI had transferred your RTI in this office, since the copy of letter from HCOI is incomplete. The page mentioning the signatory and addressee is missing.
4. In view of the above, you are requested to send us the complete letter from Haj Committee of India alongwith the copy of your RTI application dated 06/04/2015 to enable us to take necessary action.

  
(Meera Sisodia)  
Under Secretary (RTI)  
Tel: 49015226  
Fax: 49015227

OLC  
issued  
23/6/15

पुषक.

10117/Est/15-  
15-6-15

गुलाम रसूल  
40 - शाहिब नगर  
फ़ैरोजाबाद (283203)

19-6-2015

सेवा में

3741  
19/06/15

Shri S. Jaishanker  
Ministry of External Affairs  
South Block  
NEW DELHI (110011)

1345/15

महोदय,

RTI अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त हेतु 13 बिन्दु का सूचना  
आवेदन 6-4-2015 को हज़रत कैदी आफ़ ड्राइविया को प्रेषित किया था। हज़रत  
कैदी ने अपने पत्र 7-5-2015 (जिसकी फ़ोटोकॉपी संलग्न) हेतु मुझे अवगत  
कराया कि आवेदन के बिन्दु 1 से 5 तक की सूचनाएँ आपके विभाग से सम्बन्धित  
हैं, जिन्हें हज़रत कैदी ने अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आपके विभाग  
को अर्पित कर दिया है।

RTI अधिनियम की धारा 7(1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने का  
समय सीमा उठाई है, समय सीमा समाप्ति पश्चात भी आप के द्वारा न तो  
सूचनाएँ उपलब्ध कराईं और न ही किसी प्रकार का उत्तर दिया  
जाएँ। RTI अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार सूचनाएँ उपलब्ध कराने से  
इन्कार की शर्तों में आता है।

इसी हिसाब में केन्द्रीय सूचना आयोग में अपील करने की वार्धक  
द्वारा पत्रिका जिला पर केन्द्रीय सूचना आयोग महोदय सूचना उपलब्ध न  
कराने पर धारा 20(1) की कार्यवाही कर सकते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा  
के साथ विभागों में अनुशासनिक कार्यवाही आदेश जारी किया जा सकता है।  
आपसे अपेक्षा है कि पत्र प्राप्त पर इतनी शीघ्र 1 से 5 बिन्दु की सूचना  
प्रमाणित उपलब्ध कराने का कठोर कोशिश करें।

RTI अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार सीमा पश्चात निःशुल्क सूचनाएँ उपलब्ध  
कराने का प्रावधान है, जिसका पालन करते हुये आप मुझे निःशुल्क सूचनाएँ उपलब्ध  
करायें।

9  
15/6/15  
US(LH)  
P1. Inif  
2. Jernwal  
HSH  
17/6/15  
14/6/15

संलग्न -  
1- आवेदन पत्र की फ़ोटोकॉपी  
2- हज़रत कैदी के पत्र की  
फ़ोटोकॉपी

गुलाम रसूल  
11-6-2015

आवेदन शुल्क 500 रु. का है।  
1. आवेदन शुल्क का भुगतान  
द्वारा करना है।

आवेदन शुल्क

रु. 5.00 RS.

PROFESSOR

आवेदन शुल्क का भुगतान  
द्वारा करना है।

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क

70C - 989066

समाज का अधिकार अधिनियम 2005 का तहत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन । INDIA

64

1. इस संस्था की कार्य प्रणाली का विवरण क्या है? (आवेदन शुल्क 500 रु. का है) आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे करना है?
2. इस संस्था (संस्था) का उद्देश्य क्या है? क्या यह एक गैर-सरकारी संस्था है? इसका उद्देश्य क्या है?
3. संस्था के कार्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? संस्था का मुख्यालय कहाँ है? यदि हाँ तो किन्हीं?
4. संस्था के कार्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? संस्था का मुख्यालय कहाँ है?
5. संस्था के कार्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? संस्था का मुख्यालय कहाँ है?
6. संस्था के कार्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? संस्था का मुख्यालय कहाँ है?
7. संस्था के कार्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? संस्था का मुख्यालय कहाँ है?

क्र.सं.	नाम (पूरा)	पता (पूरा)	संस्था के कार्य के लिए	संस्था के कार्य के लिए	संस्था के कार्य के लिए	संस्था के कार्य के लिए

संस्था के कार्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? संस्था का मुख्यालय कहाँ है? (यदि संस्था का मुख्यालय है) संस्था के कार्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? संस्था का मुख्यालय कहाँ है?

संस्था के कार्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? संस्था का मुख्यालय कहाँ है? A.R. INDIA, INDIAN AIRLINES (संस्था के कार्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? संस्था का मुख्यालय कहाँ है?) संस्था के कार्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? संस्था का मुख्यालय कहाँ है?

संस्था के कार्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? संस्था का मुख्यालय कहाँ है? संस्था के कार्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? संस्था का मुख्यालय कहाँ है?

संस्था के कार्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? संस्था का मुख्यालय कहाँ है?



REF. HC - 08/01/2014 / 422

DATE: 06.04.2015

Mr. Ghulam Rasool,  
4C-Ghalib Nagar,  
Feerozabad-283203

Sub: Information sought under "The Right to Information Act 2005"

Sir,

This has reference to your RTI application dated 06.04.2015 received in this office on 09.04.2015. The point-wise reply to your queries is as under:-

**Point Nos. 1,2,3,4 & 5:** Subject matters of the RTI application is closely connected with Ministry of External Affairs, Government of India, the RTI application under reference has been transferred, under Section 6(3), for providing suitable information.

**Point No.6 & 7:** Non-refundable Processing Fee of Rs.200/- per applicant is charged from the intending Pilgrims for Haj-2009 and Rs.300/- from Haj-2013. Out of Registration fee half of the amount goes to State Haj Committees (SHCs), whereas the balance amount for various administrative expenses incurred by the Haj Committee of India towards processing of Haj Application Forms, Passports, MOFA for Haj Visa, Stationery, Bracelets, Identity Cards, Haj Guides etc. The interest earn on the amount is pooled in Haj Fund Account.

As per Guidelines issued by the Government of India, Department of Personnel & Training, vide reference No.1/4/2009-IR dated 05.10.2009, "The Public Information Officer is not supposed to create information; or to interpret information; or to solve the problems raised by the applicants; or to furnish replies to hypothetical questions".

**Point No.8:** Subject matters of the RTI application is closely connected with Ministry of Civil Aviation, Government of India, the RTI application under reference has been transferred, under Section 6(3), for providing suitable information.

**Point No.9:** Subject matters of the RTI application is closely connected with Consulate General of India, Jeddah, the RTI application under reference has been transferred, under Section 6(3), for providing suitable information.